

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2023 — वैशाख 8, शक 1945

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 अप्रैल 2023

सूचना

क्रमांक एफ 07-37/2022/32. - छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 को और संशोधित करने हेतु निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एस-2/14, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 94-क के परिशिष्ट-ण के पैरा (1) के उप-पैरा (क) की सारणी के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (4) में, अंक, चिन्ह तथा शब्द “(अटल नगर, रायपुर के लिये 30 हेक्टेयर)” के स्थान पर, अंक, चिन्ह तथा शब्द “(अटल नगर, रायपुर के लिये 10 हेक्टेयर)” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
सी. तिर्की, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 07-37/2022/32. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-04-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
सी. तिर्की, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 11th April 2023

NOTICE

No. F 7-37/2022/32. - The following draft further to amend the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby, published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours, by office of the Special Secretary (Independent Charge), Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room No. S-2/14, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Nawa Raipur Atal Nagar, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

In column (4) of serial number 1 of the table of sub-para (A) of para (1) of Appendix-O of rule 94-A, for the figure, symbol and words "(30 Hectares for Atal Nagar, Raipur.)" the figure, symbol and words "(10 hectare for Atal Nagar, Raipur)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
C. TIRKEY, Deputy Secretary.